BFFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 669 OF 2025

IN THE MATTER OF:

ABHAY SHARMA …APPLICANT

VERSUS

STATE OF UTTAR PRADESH & ORS. …RESPONDENT(S)

INDEX

S. NO.	PARTICULARS	PAGE NO.
1.	Response affidavit on behalf of the Respondent no. 6, Chairperson, TTZ Pollution (Prevention and Control) Authority in compliance with the order dated 11.03.2026 in the captioned matter	1-3
2.	**ANNEXURE-1** A true copy of the letter dated 24.03.2026	4
3.	**ANNEXURE-2** A true copy of the letter dated 16.04.2026	5
4.	**ANNEXURE-3** A true copy of the Joint Committee Report	6-9
5.	**ANNEXURE-4** A true copy of the show cause notice dated 25.09.2025	10-11
6.	**ANNEXURE-5** A true copy of the closure order dated 23.02.2026	12-13
7.	**ANNEXURE-6** A true copy of the compliance report dated 24.02.2026	14-18
8.	Vakalatnama	19

THROUGH

DATE: 22.04.2026

PLACE: NEW DELHI

STHAVI ASTHANA
ADVOCATE FOR RESPONDENT NO. 6,
C-9, SECTOR 50, NOIDA,
UTTAR PRADESH-201303
(M): 9711116034
(E): STHAVIASTHANA@GMAIL.COM

**BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI**

ORIGINAL APPLICATION NO. 669 OF 2025

IN THE MATTER OF:

ABHAY SHARMA **...APPLICANT**

VERSUS

STATE OF UTTAR PRADESH & ORS. **...RESPONDENT(S)**

RESPONSE AFFIDAVIT ON BEHALF OF THE RESPONDENT NO. 6, CHAIRPERSON, TTZ POLLUTION (PREVENTION AND CONTROL) AUTHORITY IN COMPLIANCE WITH THE ORDER DATED 11.03.2026 IN THE CAPTIONED MATTER

I Nagendra Pratap, aged about 59 years, S/o Shri Darshan Singh Yadav, currently posted as Commissioner, Agra Division, Office of the Commissioner, Agra Division, Agra do hereby solemnly affirm and state on oath as under:

1. That I am the Chairperson of Taj Trapezium Zone Pollution (Prevention and Control) Authority in the captioned matter. I am well conversant with the facts and circumstances of the case and as such am competent to swear the present affidavit.
2. That the present O.A. relates to grievances regarding illegal operation of two Hot Mix Plants by Khushi Infotech at Gata no. 1068/2 and G.G. Infotech at Gata no. 960 at village Veerai, Tehsil Kheragadh, District Agra falling under TTZ area in violation environmental norms.
3. That this Hon'ble Tribunal vide order dated 11.03.2026 had impleaded the answering Respondent.

NOTARY Pawan Kumar Sharma Advocate Distt. AGRA Regd No 2323/02 VALID-04/12/27 GOVT OF INDIA

SNOA/1114/2026 22/4/2026

4. That in pursuance of the directions of this Hon'ble Tribunal, a letter dated 24.03.2026 was sent by the answering Respondent to the Regional Officer, UPPCB, Agra.

A true copy of the letter dated 24.03.2026 is annexed hereto and marked as **Annexure No. 1.**

5. That in response to the same, letter dated 16.04.2026 was received from the UPPCB.

A true copy of the letter dated 16.04.2026 is annexed hereto and marked as **Annexure No. 2.**

6. That as per the information provided by the UPPCB, the Joint Committee comprising of representatives of the CPCB, UPPCB and the DM, Agra had inspected the hot mix plants in question on 24.02.2026 in the presence of representatives of the said plants.

A true copy of the Joint Committee Report is annexed hereto and marked as **Annexure No. 3.**

7. That contrary to the allegation regarding two hot mix plants as per the O.A., the Joint Committee found only one hot mix plant during inspection, carrying out industrial activity in the name of M/s G.G. Infratech India Pvt. Ltd. at Gata No. 960, Village Veerai, Tehsil Kheragarh, District Agra. The adjoining land parcel was in the name of M/s Khushi Infotech LLP. The said plant was found to be non- operational during inspection, and it was informed by the plant representative that the same had been non- operational for the past two years.

8. That in this regard a show cause notice dated 25.09.2025 had been issued to the unit by the UPPCB. In pursuance thereof, a closure order dated 23.02.2026 was also issued by the UPPCB against the unit.

SNO A/1114/2026

NOTARY
22/4/2026
Pawan Kumar
Sharma Advocate
Distt.- AGRA
Regd No 2323/02
VALID-04/12/27
GOVT OF INDIA

A true copy of the show cause notice dated 25.09.2025 is annexed hereto and marked as **Annexure No. 4.**

A true copy of the closure order dated 23.02.2026 is annexed hereto and marked as **Annexure No. 5.**

9. That the compliance report dated 24.02.2026 signed by the members of the Joint Committee indicates that the mixer drum and four bin feeder found at the site were sealed by the Joint Committee during the inspection.

A true copy of the compliance report dated 24.02.2026 is annexed hereto and marked as **Annexure No. 6.**

10. That the present response is submitted submitted before this Hon'ble Tribunal for its kind perusal and necessary consideration.

DEPONENT

VERIFICATION

Verified at .AGRA..... on this 22 day of APR., 2026 that the contents of the above affidavit are true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing material has been concealed therefrom.

DEPONENT

S. No. A/1114/2026
Explained to Sh. Nagendra Pratap
Read by Posted as Commissioner
Who understood the contents Agra Division
Solemnly affirmed & declare on Agra
Oath on 22/4/2026
At Agra
Identified by

NOTARY
Pawan Kumar Sharma Advocate
Distt. AGRA
Regd. No. 2323/02
VALID-04/12/27
GOVT OF INDIA
22/4/2026

Annexure No. 1

Email

मा0राष्ट्रीय हरित अधिकरण प्रकरण/समयबद्ध

कार्यालय टी0टी0जैड0 प्राधिकरण, आगरा।

पत्रांक–276/TTZ(PMU)/OA_669/25/2026 दिनांक–24/03/2026

विषय– ओ0ए0 सं0–669/2026–अभय शर्मा बनाम उत्तर प्रदेश व अन्य में मा0राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.03.2026 के अनुपालन में प्रतिवादी सं0–6 (अध्यक्ष, टी0टी0जैड0 प्राधिकरण, आगरा) की ओर से प्रतिशपथ–पत्र दाखिल कराये जाने के सम्बन्ध में।

क्षेत्रीय अधिकारी,
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
आगरा।

मा0राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा विषयगत ओ0ए0 सं0–669/2025–अभय शर्मा बनाम उत्तर प्रदेश व अन्य में पारित आदेश दिनांक 11.03.2026 (छायाप्रति संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके सुसंगत अंश निम्नवत् उद्धृत हैं–

"...... 4. In view of the facts and circumstances of the case, we consider presence of Taz Trapezium Zone Authority through its Chairman to be essential for just and proper adjudication of the substantial environmental questions involved in the case. Accordingly, Taz Trapezium Zone Authority through its Chairman is impleaded as respondent no. 6.

5. The Registry is directed to amend memo of parties to the application and issue notice to respondent no. 6 requiring it to file its reply/ response within one month.

6. Learned Counsels for respondents no. 1 and 2, respondent no. 3 and respondents no. 4 and 5 respectively seek one month's time for filing of their replies/responses.

7. The same may be filed accordingly within one month.

8. List on 27.04.2026 for further hearing."

उल्लेखनीय है कि मा0अधिकरण व्दारा पारित उक्त आदेश में अध्यक्ष महोदय, टी0टी0जैड0 प्राधिकरण, आगरा को प्रतिवादी सं0–6 बनाते हुये, एक माह के अन्दर जबाव दाखिल करने के निर्देश दिये गये हैं। उक्त ओ0ए0 में सुनवाई हेतु अगली तिथि **27.04.2026** नियत है, जिससे पूर्व प्रतिवादी सं0–6 की ओर से जबाव दाखिल कराया जाना आवश्यक है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण की महत्ता एवं समयबद्धता को दृष्टिगत रखते हुये, प्रश्नगत ओ0ए0 में प्रतिवादी सं0–6 (अध्यक्ष महोदय, टी0टी0जैड0 प्राधिकरण, आगरा) की ओर से प्रतिशपथ–पत्र मा0अधिकरण में निर्धारित अगली सुनवाई की उक्त तिथि से पूर्व अनिवार्य रूप से दाखिल कराना सुनिश्चित करें। प्रकरण मा0अधिकरण से आच्छादित महत्वपूर्ण एवं समयबद्ध प्रकृति का है, अतएव् आपका व्यक्तिगत ध्यान अपेक्षित है।

संलग्नक–यथोपरि।

उपाध्यक्ष/सदस्य–संयोजक
आ०वि०प्रा०/टी०टी०जैड०प्रा०

प्रतिलिपि–
1. मण्डलायुक्त/अध्यक्ष महोदय, टी०टी०जैड० प्राधिकरण, आगरा को सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।
2. प्रभारी विधि, आ0वि0प्रा0, आगरा को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

24/03/2026

उपाध्यक्ष/सदस्य–संयोजक

Annexure No. 2

e-mail-roagra@uppcb.in

क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,

भवन सं0 14, सेक्टर 3बी, आवास विकास सिकन्दरा योजना, आगरा।

पत्रांक –45 / L-297 / 2026 दिनांक –16 / 04 / 2026

महत्वपूर्ण / मा0 एन0जी0टी0 प्रकरण

सेवा में,

प्रभारी विधि,
आगरा विकास प्राधिकरण
आगरा।

विषयः–ओ0ए0 सं0–669 / 2026–अभय शर्मा बनाम उ0प्र0 व अन्य में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.03.2026 के अनुपालन में प्रतिवादी सं0–6 (अध्यक्ष, टी0टी0जेड0 प्राधिकरण, आगरा) की ओर से प्रतिशपथ–पत्र दाखिल कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदया,

कृपया उपरोक्त विषयक कार्यालय टी0टी0जेड0 प्राधिकरण, आगरा के पत्रांक सं0–276/ TTZ(PMU) / OA_669/25/2026 दिनांक 24.03.2026 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त पत्र के माध्यम से मा0 अधिकरण द्वारा पारित उक्त आदेश में अध्यक्ष महोदय, टी0टी0जेड0 प्राधिकरण, आगरा को प्रतिवादी सं0–6 बनाते हुये, एक माह के अन्दर जबाव दाखिल करने के निर्देश दिये गये है। उक्त ओ0ए0 में सुनवाई हेतु अगली तिथि 27.04.2026 नियत है, जिससे पूर्व प्रतिवादी सं0–6 की ओर से जबाव दाखिल कराया जाना आवश्यक है।

प्रकरण की महत्ता एवं समयबद्धता को दृष्टिगत रखते हुए क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा द्वारा मा0 एन0जी0टी0 में विचाराधीन ओ0ए0 सं0–669 / 2026 अभय शर्मा बनाम उ0प्र0 व अन्य में मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.01.2026 के अनुपालन में दिनांक 02.03.2026 को दाखिल किये गये नोटराइज्ड शपथ पत्र (स्कैन कॉपी) मय संलग्नकों के साथ इस आशय से प्रेषित है कि मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.03.2026 के समादर में प्रकरण में सुनवाई की अग्रिम नियत तिथि 27.04.2026 के पूर्व प्रतिवादी सं0–6 (अध्यक्ष, टी0टी0जेड0 प्राधिकरण, आगरा) की ओर से प्रतिशपथ–पत्र दाखिल किये जाने का प्रारूप (ड्राफ्ट) उपलब्ध कराने का कष्ट करें, जिससे मा0 अधिकरण में निर्धारित अगली सुनवाई की उक्त तिथि से पूर्व अनिवार्य रूप से दाखिल कराना सुनिश्चित करें। प्रकरण मा0 अधिकरण से आच्छादित महत्वपूर्ण एवं समयबद्ध प्रकृति का है, अतएव् आपका व्यक्तिगत ध्यान अपेक्षित है।

भवदीय

संलग्नक–यथोपरि।

(अमित मिश्रा)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि–निम्नांकित महोदयों को सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।

1. मण्डलायुक्त / अध्यक्ष, टी0टी0जेड0 प्राधिकरण, आगरा।
2. उपाध्यक्ष / सदस्य संयोजक, आगरा विकास प्राधिकरण / टी0टी0जेड0 प्राधिकरण, आगरा
3. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–4), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
4. अधिवक्ता रथवी अस्थाना, आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा को अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी

D:drive/2017/other work

Annexure No. 3

JOINT INSPECTION REPORT IN COMPLIANCE WITH THE HON'BLE NGT ORDER DATED 05.01.2026 IN THE MATTER OF ABHAY SHARMA Vs. STATE OF U.P. & ORS. (ORIGINAL APPLICATION NO. 669/2025)

1.0 BACKGROUND:

In the matter of *Abhay Sharma Vs. State of U.P. & Ors.* (Original Application No. 669/2025), the Hon'ble National Green Tribunal (NGT), Principal Bench, New Delhi directed vide order dated 05.01.2026 as below:

"9.............. In view of the averments made in the application, we also consider it appropriate that a Joint Committee be constituted to verify the factual position and suggest appropriate remedial action. Accordingly, we constitute a Joint Committee comprising of representatives of Central Pollution Control Board (CPCB), Uttar Pradesh Pollution Control Board and District Magistrate, Agra and direct the same to meet within two weeks, undertake visits to the site, look into the grievances of the applicant, associate the applicant and representative of the concerned project proponent, verify the factual position and suggest appropriate remedial action. The State PCB will be the nodal agency for coordination and compliance.

10. Responses by respondents no. 1 to 5 and report of the Joint Committee may be filed within two months.

11. List on 11.03.2026 for further consideration..........."

2.0 **Joint Committee:** In compliance of the above NGT order following members have been nominated in the joint committee by the concerned authorities:

Sr. No.	Name and designation	Department
1.	Mr. Vinod Chaudhary, Sub-Divisional Magistrate-Judicial, Kheragarh, Agra	District Administration Agra, U.P. (Nominated by DM, Agra)
2.	Dr. Vipul Kumar Singh, Scientist 'C' Project Office, CPCB, Agra	Central Pollution Control Board (Nominated by CPCB)
3.	Mr. Amit Mishra Regional Officer, UPPCB, Agra	Uttar Pradesh Pollution Control Board (Nominated by UPPCB)

Copy of the said office Letters is appended as **Annexure I**

3.0 **JOINT INSPECTION:** In compliance to said order of the Hon'ble NGT dated 05-01-2026, joint team of officials from CPCB, UPPCB and District Administration, Agra visited the Hot Mix Plants At Village Veerai, Tehsil Kheragarh, District Agra, UP on 24.02.2026, carried out field inspection and collected information.

The inspection covered the sites as mentioned in the said order of the Hon'ble NGT dated 05-01-2026:

- M/s Khushi Infotech (Gata No. 1068/2) Village Veerai, Tehsil Kheragarh, District Agra.
- M/s G.G. Infotech (Gata No. 960) Village Veerai, Tehsil Kheragarh, District Agra.

Representative of the units M/s Khushi Infotech and M/s G.G. Infotech Mr. Sandeep Mittal was also present on the site during inspection for assisting joint team by providing necessary information.

4.0 **General Information**: -

Sr.No.	Particular	:	Details
1.	Type of Plant	:	Hot Mix Plant (Asphalt Drum Mix Plant capacity – 60 TPH)
2.	Location	:	Village Veerai, Tehsil Kheragarh, District Agra
3.	Fuel type	:	LPG
4.	Area	:	TTZ (Taj Trapezium Zone)
5.	Gata No. 1068/2	:	M/s Khushi Infotech LLP
6.	Gata No. 960	:	M/s G.G. Infratech India Pvt. Ltd.
7.	Air Pollution Control System	:	Wet Scrubber
8.	Co-ordinate of the Hot Mix Plant Location point (Decimal units)	: Latitude	N 26° 98' 04.34"
		: Longitude	E 77° 95' 11.67"
9.	Siting Location	:	Distance (In meters) Nearest Petrol Pump - Approx. 160 m Distance from Village Veerai - Approx. 500 m Distance from Village Tehra - Approx. 670 m National Highway - NH-44 situated towards southern side

5.0. **Finding /Observation made by the Joint committee during site inspection:**

1. At the time of inspection, the Hot Mix Plant was not found operational.
2. Representative of the unit (Mr. Sandeep Mittal) informed that the plant has been non-operational for more than two years.
3. Construction material was found stored within the premises.
4. The Hot Mix Plant is operated by the electricity supplied by a D.G. Set of 125 K.V.A., The D.G. Set was found not equipped with an adequate acoustic enclosure and was not provided with a chimney of requisite height and no appropriate air pollution control system was found installed, in violation of the norms prescribed by CPCB.
5. During the course of inspection, the Joint Committee verified the land ownership details of the Hot Mix Plant premises through available revenue records (Khatauni **ANNEXURE – II**). It was found that:
   - The industrial activity is being carried out over Gata No. 960 (2.1790 Ha) recorded in the name of *M/s G.G. Infratech India Pvt. Ltd.*
   - Adjacent land parcel Gata No. 1068/2 (0.4330 Ha) is recorded in the name of *M/s Khushi Infotech LLP.*

- The total land area under use for the Hot Mix Plant premises is approximately 2.6120 Hectare.
- The said land parcels fall within Village Veerai, Tehsil Kheragarh, District Agra and are situated inside the notified Taj Trapezium Zone (TTZ) area.
- As per UP Pollution Control Board Headquarters, Lucknow, vide Letter No. H-33039/C-4/Consent-304/Show Cause Notice/2025 dated 25.09.2025, a Show Cause Notice was issued against M/s G.G. Infratech, Village–Virai, Tehsil–Kheragarh, District–Agra under Section 33A of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (as amended), and subsequently, vide Letter No. H-38316/C-4/Consent-304/Closure Order/2026 dated 23.02.2026, a Closure Order was issued against the said unit under the same statutory provisions. Copy of the said Show cause and Closure order Letter's is appended as **Annexure III**

6. During inspection, the Mixer Drum and Four-bin Feeder were sealed by the Joint Committee in compliance with the Closure Order issued under Section 33A of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981. Copy of the said proceedings of sealing are annexed herewith as **Annexure–IV.**

GPS Photographs taken during inspection dated 24.02.2026

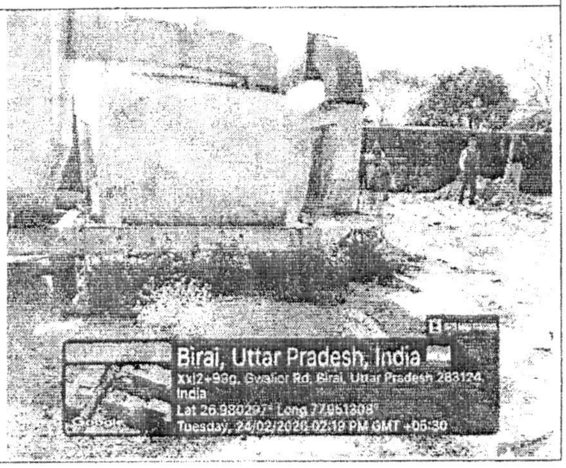

6.0 CONCLUSION

- The applicant has raised grievances regarding the alleged illegal operation of two Hot Mix Plants by M/s Khushi Infotech at Gata No. 1068/2 and M/s G.G. Infotech at Gata No. 960, situated at Village Veerai, Tehsil Kheragarh, District Agra, falling within the TTZ area in violation of environmental norms; however, during inspection, only one Hot Mix Plant was found installed at the site.
- The Hot Mix Plant situated at Gata Nos. 960 and 1068/2, Village–Virai, Tehsil–Kheragarh, District–Agra, falling within the notified TTZ area, was found non-operational at the time of inspection, and it is observed that UP Pollution Control Board Headquarters, Lucknow had issued a Show Cause Notice dated 25.09.2025 followed by a Closure Order dated 23.02.2026 under Section 33A of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 against M/s G.G. Infratech; in compliance thereof, the Mixer Drum and Four-bin Feeder were sealed during inspection, and the unit stands sealed and closed.

Inspection Team:

Sr. No.	Name of Inspecting Officers	Designation	Signature
1.	Mr. Vinod Chaudhary	SDM-Judicial Magistrate, Kheragarh, Agra	
2.	Dr. Vipul Kumar Singh	Scientist 'C', Project office, CPCB, Agra	
3.	Mr. Amit Mishra	RO, UPPCB, Agra	

Annexure No. 4

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

पंजीकृत

पत्रांक :H33039......./सी–4/सहमति–304/का0ब0नो0/2025. दिनांक :25/09/25

मेसर्स जी0जी0 इन्फ्राटेक,
ग्राम–वीरई, तहसील–खेरागढ़,
जनपद–आगरा।

यह कि मेसर्स जी0जी0 इन्फ्राटेक, ग्राम–वीरई, तहसील–खेरागढ़, जनपद–आगरा द्वारा कच्चे माल के रूप मे स्टोन एग्रीगेट्स एवं बिटुमिन का प्रयोग कर बिटुमिनस हॉट मिक्स कंक्रीट के उत्पादन कार्य हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर कार्यरत है।

यह कि संदर्भित हॉट मिक्स प्लाण्ट के संचालन फलस्वरूप उत्पन्न वायु प्रदूषण के विरूद्ध श्री अभय शर्मा पुत्र श्री उमेश कुमार शर्मा, प्रो० सैंथिया फिलिंग स्टेशन, ग्राम–वीरई, तह0–खेरागढ़, जनपद–आगरा की गयी जन शिकायत के सम्बन्ध में क्षेत्रीय कार्यालय, आगरा के प्राधिकारियों द्वारा उद्योग का स्थलीय निरीक्षण दिनांक 14.06.2025 को उद्योग प्रतिनिधि श्री अमित अग्रवाल की उपस्थिति में किया गया।

आख्यानुसार निरीक्षण के समय हॉट मिक्स प्लाण्ट स्वय के कारणो से बन्द पायी गयी। उद्योग को सन्दर्भित हॉट मिक्स प्लाण्ट की स्थापना हेतु राज्य बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त होना अभिलेखो में संज्ञानित नही है। सन्दर्भित उद्योग स्थल के पूरब दिशा में 500 मी0 की दूरी तक खुला मैदानी क्षेत्र, पश्चिम दिशा में लगभग 20 मी0 की दूरी पर ग्वालियर–आगरा राज्यमार्ग, उत्तर दिशा में लगभग 700 मी0 की दूरी पर ग्राम–नगला केशरी का आबादी क्षेत्र एवं दक्षिण–पश्चिम दिशा में लगभग 180 मी० की दूरी पर मै० सैंथिया फिलिंग स्टेशन के नाम से भारत पेट्रोलियम का रिटेल आउटलेट स्थापित पाया गया। उद्योग का स्थल ताज ट्रेपेजियम जोन (टी०टी०जैड०) के अन्तर्गत आच्छादित होना संज्ञानित है। उद्योग प्रतिनिधि द्वारा हॉटमिक्स प्लाण्ट की हॉट मिक्स कंक्रीट उत्पादन क्षमता से अवगत नहीं कराया जा सका एवं प्लान्ट से सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। उक्त उद्योग केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड द्वारा प्रवर्गीकृत उद्योगो की सूची में नारंगी श्रेणी के अन्तर्गत आच्छादित है। सन्दर्भित उद्योग द्वारा जल का उपयोग स्क्रबिंग प्रक्रिया एवं घरेलू प्रयोजन में किया जाता है। स्क्रबिंग प्रक्रिया में प्रयुक्त जल को सेटलिंग टैंक के माध्यम से पुनःचक्रित किया जाता है। निरीक्षण के समय स्कबिंग प्रक्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न उत्प्रवाह के निस्तारण हेतु समुचित स्थापित नहीं पायी गयी। घरेलू प्रयोजन से जनित होने वाले बहिश्राव के शुद्धीकरण हेतु सेप्टिक टैंक एवं सोकपिट की व्यवस्था निरीक्षण के समय स्थापित नहीं पायी गयी। सन्दर्भित उद्योग की प्रक्रिया में फायरिंग हेतु ईंधन के रूप में एल०पी०जी० का प्रयोग किया जाना सूचित है। परिसर में हॉट मिक्स प्लान्ट के संचालन हेतु एल०पी०जी० गैस के सिलेण्डरो का भण्डारण पाया गया, किन्तु एल०पी०जी० उपयोग सम्बन्धी सक्षम अधिकारी से निर्गत अनुज्ञा पत्र तथा एल०पी०जी० भण्डारण हेतु एक्सप्लोसिव विभाग की अनापत्ति पत्र एवं एल०पी०जी० स्टॉक रजिस्टर निरीक्षण के समय प्रस्तुत नहीं किये गये। सन्दर्भित उद्योग की उद्योगिक प्रक्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न गैसीय उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु वेट स्क्रबर की व्यवस्था स्थापित पायी, किन्तु बिटुमिनस टैंक एवं मिक्चर टैंक से उत्पन्न गैसीय उत्सर्जन के नियन्त्रण हेतु पर्याप्त ऊंचाई की चिमनी स्थापित नहीं पायी गयी। उक्त के अतिरिक्त उद्योग में 125 के0वी0ए0 क्षमता का एक डी०जी० सेट कनोपी युक्त स्थापित पाया गया। डी०जी० सेट के एग्जॉस्ट पर संलग्न चिमनी की ऊँचाई बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप नही पायी गयी। सन्दर्भित उद्योग द्वारा स्टोन एग्रीगेट्स के अनलोडिंग के समय उत्पन्न डस्ट उत्सर्जन के नियन्त्रण हेतु समुचित जल छिड़काव की व्यवस्था तथा नियमानुसार बाउन्ड्रीवॉल स्थापित नहीं किया गया है। सन्दर्भित उद्योग द्वारा हॉट मिक्स प्लाण्ट के संचालन हेतु राज्य बोर्ड से सहमति (जल एवं वायु) आदेश प्राप्त नही किया गया है। उद्योग का संचालन राज्य बोर्ड से बिना सहमति (जल एवं वायु) आदेश किये किया गया है, जो कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित में प्रख्यापित प्राविधानों का स्पष्ट उल्लघंन है।

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, आगरा द्वारा पत्रांक सं0–464/ओजी–710/2025 दिनांक 21.08.2025 द्वारा प्रेषित आख्या/संस्तुति में संदर्भित उद्योग के विरूद्ध प्राप्त जन शिकायत एवं ताज ट्रेपैजियम जोन (टी०टी०जैड०)

के अन्तर्गत औद्योगिक गतिविधि अनुमन्य नहीं होने के आलोक में उक्त सन्दर्भित उद्योग मेसर्स जी0जी0 इन्फ्राटेक, ग्राम–वीरई, तहसील–खेरागढ, जनपद–आगरा मे स्थापित हॉट मिक्स प्लाण्ट के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की सुसंगत धारा के अन्तर्गत बन्दी निर्देश जारी किये जाने की संस्तुति की गयी है।

अत उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा द्वारा प्रेषित आख्या/संस्तुति दिनांक 21.08.2025 के अनुक्रम में उद्योग मेसर्स जी0जी0 इन्फ्राटेक, ग्राम–वीरई, तहसील–खेरागढ, जनपद–आगरा के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए यथासंशोधित के अन्तर्गत निम्नलिखित कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है :–

1. यह कि क्यों न उद्योग मेसर्स जी0जी0 इन्फ्राटेक, ग्राम–वीरई, तहसील–खेरागढ, जनपद–आगरा के विरूद्ध तत्काल प्रभाव से बन्दी आदेश जारी कर दिये जाए।
2. यह कि क्यो न सक्षम अधिकारियों से अपेक्षा की जाये कि उद्योग मेसर्स जी0जी0 इन्फ्राटेक, ग्राम–वीरई, तहसील–खेरागढ, जनपद–आगरा को मिलने वाली विद्युत एवं पानी की आपूर्ति को तत्काल प्रभाव से विच्छेदित करते हुए अन्य सुविधाओं को रोक दिया जाए।

उपरोक्त के सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें। निर्धारित अवधि मे सन्तोषजनक उत्तर प्राप्त न होने की दशा में प्रश्नगत उद्योग के विरूद्ध उपरोक्त वर्णित कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व उद्योग के जिम्मेदार प्राधिकारियों का होगा।

<u>सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।</u>

Digitally signed by
RAM GOPAL
Date: 24-09-2025
13:20:29

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–4

प्रतिलिपि: क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियत्रंण बोर्ड, आगरा को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि संदर्भित उद्योग को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर निर्धारित समयावधि में उद्योग की अनुवर्ती निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

910

Annexure No. 5

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

पंजीकृत

पत्रांक : H38316 / सी–4 / सहमति–304 / बन्दी आदेश / 2026, दिनांक : 23-02-26

मै0 जी०जी० इन्फ्राटेक,
ग्राम–वीरई, तहसील–खेरागढ़,
जनपद–आगरा।

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा द्वारा पूर्व में पत्रांक–464 / ओजी–710 / 2025 दिनांक 21.08.2025 के माध्यम से प्रेषित आख्या के अनुक्रम में उद्योग मै0 जी०जी० इन्फ्राटेक, ग्राम–वीरई, तहसील–खेरागढ, जनपद–आगरा को बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक–एच33039 / सी–4 / सहमति–304 / का0ब0नो0 / 2025 दिनांक 25.09.2025 द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है, जो वर्तमान में प्रभावी है।

यह कि प्रश्नगत उद्योग का निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय, आगरा के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा दिनांक 02.12.2025 को उद्योग प्रतिनिधि श्री भूपेन्द्र सिंह, सुपरवाईजर की उपस्थिति में किया गया। आख्यानुसार इकाई द्वारा कच्चे माल के रूप में स्टोन एग्रीगेट्स एवं बिटुमिन का उपयोग कर बिटुमिनस हॉट मिक्स कंक्रीट का उत्पादन किया जाना सूचित है। उद्योग प्रतिनिधि द्वारा हॉटमिक्स प्लाण्ट की हॉट मिक्स कंक्रीट उत्पादन क्षमता से अवगत नहीं कराया जा सका एवं प्लान्ट से सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। उक्त उद्योग केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड द्वारा प्रवर्गीकृत उद्योगो की सूची में नारंगी श्रेणी के अन्तर्गत आच्छादित है। इकाई द्वारा जल का उपयोग स्क्रबिंग प्रक्रिया एवं घरेलू प्रयोजन में किया जाना सूचित है। स्क्रबिंग प्रक्रिया में प्रयुक्त जल को सेटलिंग टैंक के माध्यम से पुनःचक्रित किया जाना सूचित है। निरीक्षण के समय स्क्रबिंग प्रक्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न उत्प्रवाह के निस्तारण हेतु समुचित स्थापित नहीं पायी गयी। घरेलू प्रयोजन से जनित होने वाले वहिश्राव के शुद्धीकरण हेतु सेप्टिक टैंक एवं सोकपिट की व्यवस्था निरीक्षण के समय स्थापित नहीं पायी गयी। इकाई की प्रक्रिया में फायरिंग हेतु ईंधन के रूप में एल०पी०जी० का प्रयोग किया जाना सूचित है। परिसर में हॉट मिक्स प्लान्ट के संचालन हेतु एल०पी०जी० गैस के सिलेण्डरो का भण्डारण पाया गया, किन्तु एल०पी०जी० उपयोग सम्बन्धी सक्षम अधिकारी से निर्गत अनुज्ञा पत्र तथा एल०पी०जी० भण्डारण हेतु एक्सप्लोसिव विभाग की अनापत्ति पत्र एवं एल०पी०जी० स्टॉक रजिस्टर निरीक्षण के समय प्रस्तुत नहीं किये गये। इकाई की उद्योगिक प्रक्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न गैसीय उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु वेट स्क्रबर की व्यवस्था स्थापित पायी किन्तु बिटुमिनस टैंक एवं मिक्चर टैंक से उत्पन्न गैसीय उत्सर्जन के नियन्त्रण हेतु पर्याप्त ऊंचाई की चिमनी स्थापित नहीं पायी गयी। उक्त के अतिरिक्त उद्योग में 125 के0वी0ए0 क्षमता का एक डी०जी० सेट कैनोपी मुक्त स्थापित पाया गया। डी०जी० सेट के एग्जॉस्ट पर संलग्न चिमनी की ऊँचाई बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पायी गयी। इकाई द्वारा स्टोन एग्रीगेट्स के अनलोडिंग के समय उत्पन्न डस्ट उत्सर्जन के नियन्त्रण हेतु समुचित जल छिड़काव की व्यवस्था तथा नियमानुसार बाउन्ड्रीवॉल स्थापित नहीं किया गया है। इकाई द्वारा हॉट मिक्स प्लाण्ट के संचालन हेतु राज्य बोर्ड से सहमति (जल एवं वायु) आदेश प्राप्त नहीं किया गया है। उद्योग का संचालन राज्य बोर्ड से बिना सहमति (जल एवं वायु) आदेश किये किया गया है।

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा द्वारा पत्रांक–826 / ओजी–710 / 2025 दिनांक 24.12.2025 के माध्यम से प्रेषित आख्या में उद्योग मै0 जी०जी० इन्फ्राटेक, ग्राम–वीरई, तहसील–खेरागढ, जनपद–आगरा के विरुद्ध जारी कारण बताओ नोटिस दिनांक 25.09.2025 की पुष्टि किये जाने की संस्तुति की गयी है।

अतः क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा द्वारा प्रेषित आख्या / संस्तुति दिनांक 24.12.2025 के अनुक्रम में मै0 जी०जी० इन्फ्राटेक, ग्राम–वीरई, तहसील–खेरागढ, जनपद–आगरा को जारी कारण बताओ नोटिस दिनांक 25.09.2025 की पुष्टि करते हुये वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा–31(ए) के अन्तर्गत निम्नलिखित आदेश / निर्देश तत्काल प्रभाव से जारी किये जाते है :–

टी०सी०–12वी०, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ–226010
ई–मेल: info@uppcb.com
वेबसाइट: uppcb.up.gov.in

T.C.-12V., Vibhuti Khand,
Gomti Nagar, Lucknow-226010
E-mail: info@uppcb.com
Web Site: uppcb.up.gov.in

1. यह कि मै0 जी०जी० इन्फ्राटेक, ग्राम–वीरई, तहसील–खेरागढ, जनपद–आगरा की औद्योगिक प्रकिया का संचालन तत्काल प्रभाव से बन्द कर दें।
2. यह कि सक्षम अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे उद्योग मै0 जी०जी० इन्फ्राटेक, ग्राम–वीरई, तहसील–खेरागढ, जनपद–आगरा को मिलने वाली विद्युत/पानी की आपूर्ति सहित अन्य सुविधाओं की अनुमति आदि को निरस्त कर विच्छेदित/बंद कर दें।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।

Digitally signed by
RAM GOPAL
Date: 23-02-2026
12:21:38

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–4

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. जिलाधिकारी, आगरा को इस अनुरोध के साथ कि संदर्भित उद्योग को बंद कराने हेतु संबंधित को निर्देशित करने का कष्ट करें।
2. महाप्रबन्धक जल संस्थान, आगरा।
3. अधिशासी अभियंता, उ0प्र0 पावर कॉर्पोरेशन लि० (विद्युत वितरण), आगरा।
4. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा को इस निर्देश के साथ कि बंदी आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराकर अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर प्रेषित करें।

Recd
Sandeep 24/2/26
9837049167
Sandeep Mittal

0562-4070000

Annexure No. 6

अनुपालन आख्या

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0–669/2025 अभय शर्मा बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 में पारित आदेश दिनांक 05.01.2026 के अनुपालन में प्रश्नगत प्रकरण पर अद्यतन स्थिति से अवगत कराने हेतु जिलाधिकारी महोदय, आगरा द्वारा दिनांक . 8.0 .2026 को संयुक्त समिति गठित की गयी है। अग्रेतर उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मुख्यायल, लखनऊ के पत्रांक सं0–एच 38316/सी–4/सहमति–304/बन्दी आदेश/2026 दिनांक–23.02.2026 द्वारा मै0 जी0जी0 इन्फाटेक, ग्राम– वीरई, तहसील–खेरागढ़, जनपद–आगरा के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा–33ए के अन्तर्गत बन्दी आदेश निर्गत है। दिनांक 24.02.2026 को स्थलीय निरीक्षण समिति के नामित उपजिलाधिकारी (न्यायिक), तहसील–खेरागढ़, आगरा, वैज्ञानिक 'ग', परियोजना कार्यालय केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा तथा सहायक वैज्ञानिक अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा द्वारा किया गया। प्रश्नगत हॉट मिक्स प्लान्ट ताज ट्रेपेजियम जोन क्षेत्र में स्थापित व संचालित है। निरीक्षण के समय पाये गये अन्य तथ्य निम्नवत् है–

(1) प्रकरण स्थल पर हॉट मिक्स प्लांट कार्यरत नहीं पाया गया.

(2) Unit के प्रतिनिधि श्री संदीप मित्तल द्वारा अवगत कराया गया कि प्लांट पिछले 2 साल से अधिक से नहीं कार्यरत है।

(3) प्लांट परिसर में निर्माण सामग्री आदि भण्डारित पायी गयी.

(4) Unit के प्रतिनिधि द्वारा सूचित किया गया कि गाटा संख्या 1068/2 मै० रघुश्री इन्फ्राटेक एल. एल. पी के नाम तथा गाटा संख्या 960 मै० जी. जी. इन्फ्राजोन इण्डिया (प्रा.) लि. के नाम दर्ज है।

(5) हॉट मिक्स प्लांट के समीप स्थलों की दूरी:- पैट्रोल पम्प 160 मी०, ग्राम - वीरई 500 मी०, ग्राम - तेहरा 670 मी० तथा पश्चिम में NH-44 स्थित है।

(6) मिक्सर ड्रम तथा कोरवित फीडर को सील किया गया.

(हस्ताक्षर) 24/2/26
क्षितीश पटेल
ASO, UPPCB आगरा

(हस्ताक्षर) 24/2/26
डॉ विपुल कुमार सिंह
वैज्ञा 'ग', CPCB आगरा

(हस्ताक्षर)
उप जिलाधिकारी (न्यायिक)
खेरागढ़, आगरा

(हस्ताक्षर) 24/2/26
श्री संदीप मित्तल
C/O मै० जी. जी. इन्फ्राटेक, वीरई ग्राम
खेरागढ़, आगरा

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ० ए० संख्या - 669/2025 अभय शर्मा बनाम उत्तर प्रदेश एवं अन्य में पारित आदेश दि० 05.01.2026 के अनुपालन में दिनांक 24.02.2026 को संयुक्त टीम की उपस्थिति का विवरण:

1:- उपजिलाधिकारी (न्यायिक), खैरागढ़, आगरा — 24/02/26

2:- डा० विपुल कुमार सिंह, वै०अ०ग्रे०, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा — 24/2/26

3: क्षितीश पटेल, सहायक वैज्ञानिक अधि०, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा — 24/2/26

4: श्री संदीप मित्तल, प्रो० जी०जी० इन्फ्राटेक प्रा० लिमिटेड, खैरागढ़, आगरा — 24/02/26

5: अमित मित्रा, क्षे० अधिकारी, यू.पी.पी.सी.बी., आगरा — 24/02/2026

टिप्पणी एवं आदेश

जिलाधिकारी महोदय,

कृपया पत्रावली में दाहिनी ओर सम्मुख संलग्न मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 सं0–669/2025 (अभय शर्मा बनाम स्टेट आफ यू0पी0 व अन्य) में पारित आदेश दिनांक 05.01.2026 का अवलोकन करने का कष्ट करें। **(पताका–'क')**

मा0 अधिकरण के द्वारा दिनांक 05.01.2026 को पारित आदेश के सुसंगत अंश निम्नवत् है:–

"7. In view of the averments in the application, we consider it appropriate to have response of (1) State of Uttar Pradesh through Principal Secretary, Environment, Forest and Climate Change, Government of U.P.; (2) District Magistrate, Agra; (3) Uttar Pradesh Pollution Control Board (UPPCB) through Member Secretary; (4) M/s. Khushi Infotech at Gata no. 1068/2, Village Veerai, Tehsil Kheragadh, District Agra and (5) M/s. G.G. Infotech at Gata no. 960, Village Veerai, Tehsil Kheragadh, District Agra who are impleaded as respondents no. 1 to 5. The Registry is directed to prepare and attach memo of parties to the application.

8. The Registry is directed to issue notice to respondents no. 1 to 5 along with copy of the original application and documents attached with the same.

9. In view of the averments made in the application, we also consider it appropriate that a Joint Committee be constituted to verify the factual position and suggest appropriate remedial action. Accordingly, we constitute a Joint Committee comprising of representatives of Central Pollution Control Board (CPCB), Uttar Pradesh Pollution Control Board and District Magistrate, Agra and direct the same to meet within two weeks, undertake visits to the site, look into the grievances of the applicant, associate the applicant and representative of the concerned project proponent, verify the factual position and suggest appropriate remedial action. The State PCB will be the nodal agency for coordination and compliance.

10. Responses by respondents no. 1 to 5 and report of the Joint Committee may be filed within two months.

11. List on 11.03.2026 for further consideration.

12. The applicant may be informed about the next date of hearing fixed and be asked to join the proceedings physically or through V.C. on that date."

उल्लेखनीय है कि प्रश्नगत प्रकरण में जनपद–आगरा के दो हॉटमिक्स प्लान्ट जोकि टी0टी0जेड0 एरिया में संचालित है तथा जिनके नाम क्रमशः मै0 खुशी इन्फ्राटेक, गाटा नं0–1068/2 एवं मै0 जी0जी0 इन्फ्राटेक गाटा सं0–960, ग्राम–वीरई, तहसील– खेरागढ़, जनपद आगरा के सम्बन्ध में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं जिलाधिकारी, आगरा की संयुक्त समिति द्वारा निरीक्षण किया जाना निर्देषित है।

मा0 अधिकरण के आदेशों के क्रम में संयुक्त समिति गठित किये जाने हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से डॉ0 विपुल कुमार सिंह, वैज्ञानिक 'ग' को सदस्य नामित किया गया है। **(पताका–'ख')**

उपरोक्त के क्रम में जिलाधिकारी महोदय, आगरा की तरफ से संयुक्त समिति गठित किये जाने हेतु अधिकारी नामित करने एवं संयुक्त समिति द्वारा निरीक्षण किये जाने हेतु तिथि एवं समय देना चाहें।

महोदय, (i) किसी SDM
(ii) RO - UPPCB
(iii) CPCB
को नामित करना चाहें।

17/02/2026
(अमित मिश्रा)
क्षेत्रीय अधिकारी

अपर जिलाधिकारी (नगर)/
ओ0सी0, मा0 राष्ट्रीय हरित
अधिकरण

vinod chaudhary Dy collector nominated

जिलाधिकारी,
आगरा।

277

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
CENTRAL POLLUTION CONTROL BOAR
परियोजना कार्यालय, आगरा
PROJECT OFFICE, AGRA
(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार)
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE, GOVT. OF INDIA

सत्यमेव जयते

सं० परि०का०आ० / प्रशा० / एन.जी.टी. / 149(ii)-15 / 292 दिनांक 05.02.2026

सेवा में,

1. जिलाधिकारी महोदय, आगरा
2. क्षेत्रीय अधिकारी,
   उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा

विषय :– माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित ओ.ए. सं. 669/2025 "Abhay Sharma vs U.P. & Ors." में पारित आदेश दिनांक 05.01.2026 के अनुपालन हेतु संयुक्त समिति में नामांकन के संबंध में।

4440/E

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित ओ.ए. सं. 669/2025 "Abhay Sharma vs U.P. & Ors." में पारित आदेश दिनांक 05.01.2026 माननीय एन.जी.टी. की वेबसाइट पर उपलब्ध एवं संलग्नानुसार है। उक्त पारित आदेश दिनांक 05.01.2026 के सुसंगत अंश निम्नवत् है–

"....9. In view of the averments made in the application, we also consider it appropriate that a Joint Committee be constituted to verify the factual position and suggest appropriate remedial action. Accordingly, we constitute a Joint Committee comprising of representatives of Central Pollution Control Board (CPCB), Uttar Pradesh Pollution Control Board and District Magistrate, Agra and direct the same to meet within two weeks, undertake visits to the site, look into the grievances of the applicant, associate the applicant and representative of the concerned project proponent, verify the factual position and suggest appropriate remedial action. The State PCB will be the nodal agency for coordination and compliance.

10. Responses by respondents no. 1 to 5 and report of the Joint Committee may be filed within two months.

11. List on 11.03.2026 for further consideration.

मा0 एन.जी.टी. द्वारा दिये गये उपरोक्त आदेशों के अनुपालन में संयुक्त समिति बनाये जाने हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से डॉ0 विपुल कुमार सिंह, वैज्ञानिक 'ग' परियोजना कार्यालय, आगरा (मो.नं.–7906254789, ई–मेल: vipul.cpcb@gov.in) को सदस्य नामित किया गया है।

कृपया आपके अवलोकन, सूचनार्थ एवं अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

V. ADA
DFO
ADM (C)

जिलाधिकारी
आगरा
05.2.26

RO
PCB

भवदीय

(अंकुर तिवारी)
प्रभारी अधिकारी

प्रतिलिपि :– सादर सूचनार्थ प्रेषित।

309

- प्रभारी, IPC-V, के0प्र0नि0 बोर्ड, दिल्ली।
- क्षेत्रीय निदेशक, के.प्र.नि. बोर्ड, लखनऊ।

(प्रभारी अधिकारी)

JA ASO

परियोजना कार्यालय :
4,धौलपुर हाउस, एम.जी. रोड, आगरा - 282001
4, Dholpur House, M.G. Road, Agra - 282001
फैक्स : 0562-2421568, दूरभाष : 0562-4005877, 2421548
ई-मेल : E-mail : poagra.cpcb@nic.in

प्रधान कार्यालय / Head Office
'परिवेश भवन' पूर्वी अर्जुन नगर, शाहदरा, दिल्ली - 110032
'Parivesh Bhawan', East Arjun Nagar, Shahdara, Delhi-110032
EPABX / दूरभाष / Tel: +91-11-43102030, 22303717
फैक्स / Fax : 0091-11-22304948, 22307078
बेव साइट : www.cpcb.nic.in

(ceo4) 19.02.2026

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

LiFE Lifestyle for Environment

संदर्भ संख्या-H38188 /सी-4/ एन0जी0टी0-480/2026 पंजीकृत दिनांक 19-02-26

सेवा में,

1 सदस्य सचिव,
केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
परिवेश भवन, पूर्वी अर्जुन नगर,
दिल्ली-110032।

2 जिलाधिकारी
आगरा,

विषयः-माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या-669/2025 अभय शर्मा बनाम उत्तर प्रदेश एण्ड अन्य में पारित आदेश दिनांक 05.01.2026 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या-669/2025 अभय शर्मा बनाम उत्तर प्रदेश एण्ड अन्य में पारित आदेश दिनांक 05.01. 2026 (छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ लें। आदेश के सुसगत अंश निम्नवत् है:-

"............... 9.In view of the averments made in the application, we also consider it appropriate that a Joint Committee be constituted to verify the factual position and suggest appropriate remedial action. Accordingly, we constitute a Joint Committee comprising of representatives of Central Pollution Control Board (CPCB), Uttar Pradesh Pollution Control Board and District Magistrate, Agra and direct the same to meet within two weeks, undertake visits to the site, look into the grievances of the applicant, associate the applicant and representative of the concerned project proponent, verify the factual position and suggest appropriate remedial action. The State PCB will be the nodal agency for coordination and compliance............."

उक्त प्रकरण में माननीय एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेशो के अनुपालन हेतु सयुक्त समिति के सदस्य के रूप मे अधिकारी नामित करते हुए अधिकारी नाम, पद नाम एवं मोबाईल न0- उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, को ई-मेल के माध्यम से ई-मेल आई0डी0-ms@uppcb.in एवं ceo4@uppcb.in पर प्रेषित करना चाहे।

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से संयुक्त समिति के सदस्य के रूप में श्री अमित मिश्रा क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा मोबाईल न0-7080925588 को नामित किया जाता है।

प्रकरण मे अग्रिम सुनवाई की नियत तिथि 11.03.2026 है।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,

Digitally signed by
Sanjeev Kumar Singh
Date: 18-02-2026
15:08:35
सदस्य सचिव

प्रतिलिपि:-क्षेत्रीय अधिकारी उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

JA file it 19/2/26 ASO

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.up.gov.in

VAKALATNAMA

IN THE COURT OF NATIONAL GREEN TRIBUNAL, NEW DELHI

Suit/Misc.Case/Civil Appeal/Execution/ O.A. NO. 669/2025

Fixed for ....

NCT OF DELHI COURT FEE ₹2 DLCT1357425C2603K 13-MAR-2026

ABHAY SHARMA
Plantiff/Applicant
Appellant/Decree Holder

ADVOCATES' WELFARE FUND STAMP ₹25 BAR COUNCIL OF DELHI 2607459 TWENTYFIVE RUPEES

VERSUS

STATE OF UP & ORS
Plantiff/Applicant
Defendant/Opp.Party /Respondent/Judgment Debtors.

VAKALATNAMA of Plantiff/Defendant/Applicant/Opp.Party/Decree older/Judgment Debtor.

In the case noted above TAJ TRAPEZIUM ZONE (TTZ) AUTHORITY, AGRA Advocate as senior counsel &/or Sarvsri ...... **STHAVI ASTHANA** ....Advocates as Counsel at NEW DELHI.

Is/Are hereby appointed as Counsel to appear plead, and act on behalf of the undersigned in any manner, he thinks it proper, either himself or through any other Advocate , and in particular to do the following namely to receive any process of court (including any notice from any appellant or divisional court) to file any application , petition or pleadings to file , produce or receive back any document to withdraw or compromise the proceedings , to refer any matter to arbitration to deposit or withdraw any money/s to execute any decree or order, to certify payment and/ or receive and money/s due under such decree or order.

The undersigned shall be bound by all whatsoever may be done in aforesaid case(including any appeal or revision there from) for and on behalf of the undersigned by any of the said counsels.

Signature:-.......M. A.......

Name in full:- ....M. ARUNMOZHI.......

Attesting witness

Name in full:- **MANISH SAGAR, (R.N.M.)**

Address: TAJ TRAPEZIUM ZONE (TTZ) AUTHORITY, AGRA

Date:- 22/04/2026

Accepted on the strength of the signature of the attesting witness

Sthavi

Advocate
D/7634/2018

STHAVI ASTHANA
(Advocate-on-Record)
Supreme Court of India
C-9, Sector-50, Noida
Uttar Pradesh-201303
Mobile : 9711116034
Email: sthaviasthana@gmail.com